कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17,अरेरा हिल्स, पोस्ट बॉक्स नंबर 1164 भेपाल

दूरभाष–2550488,2550446,2553305,2551282 फैक्स–0755–2555162

E-mail ID: chiefelectoralofficermp@gmail.com,website:ceomadhyapradesh.nic.in

फा.क्र.80 / 2019 / 4 / रेण्डमाईजेशन / 1822 भोपाल दिनांक 7/2/19

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
समस्त, मध्यप्रदेश

विषयः– कर्मचारियो का डाटाबेस– मतदान कर्मियों की व्यवस्था।

कृपया आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 के संदर्भ में मतदान दलों तथा विभिन्न गतिविधियों के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। रिटर्निंग अधिकारियों की पुस्तिका के अध्याय–तीन में मतदान दलों, मतदान कर्मियों की व्यवस्था बावत् विस्तृत निर्देश दिए हुए है। इनका तथा आयोग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26, 159, इत्यादि का अवलोकन, अध्ययन करें।

जिले में पदस्थ केन्द्र शासन / राज्य शासन इत्यादि के अधिकारियों, कर्मचारियों की जानकारी बुलाकर आयोग के निर्देशानुसार डाटाबेस तैयार करने के कार्य की प्रगति से अवगत करावें। डाटाबेस में सभी अधिकारी कर्मचारियों के EPIC नम्बर, विधानसभा क्षेत्र का नाम, मतदान केन्द्र / पार्ट का नाम, नम्बर, मतदाता सूची में नाम का स.क्रमांक, मोबाईल नम्बर, निवास एवं ऑफिस का पूरा पता, इत्यादि होने की पुष्टि भी करें। साथ ही जिले में पदस्थ सभी के पात्रता अनुसार अधिकारी, कर्मचारियों के नाम मतदाता सूची में शामिल हो यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे।

चुनाव ड्यूटी देते समय अधिकारी कर्मचारियों की वरिष्टा, पे–स्केल को ध्यान में रखे जाने के आयोग के निर्देश है, उनका पालन किया जावे।

जिले में मतदान दलों, विभिन्न नोडल अधिकारियों, सेक्टर ऑफिसर / मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑबजरवर, गणना सहायकों, फ्लाइंग स्क्वाड, सुरक्षा कर्मियों, परिवहन दलों, इत्यादि हेतु कर्मचारियो, अधिकारियों की आवश्यकता का आंकलन कर पर्याप्त मात्रा में मैनपावर उपलब्ध होने की पुष्टि करें। यदि जिलें में मैनपावर की कमी हो तो संभागीय आयुक्त को मांग भेजकर पूर्ती करावें। डाटाबेस तैयार करने की प्रगति से प्रति सप्ताह अवगत करावें।

7.2.19
(संदीप यादव)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

पृ.क्र.80/2019/4/रेण्डमाईजेशन/ 1823 भोपाल दिनांक 7/2/19

प्रतिलिपि–

1 . श्री अनुज जयपुरियार, प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की ओर प्रेषित।

2. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन की ओर भेजकर लेख है कि सभी विभागो को निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि वे जिले के सभी अधिकारियों को पाबंद करें कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय–सीमा में कर्मचारियों, अधिकारियों की जानकारी उपलब्ध करावें तथा चुनाव में ड्यूटी लगने पर अधिकारी, कर्मचारी उपलब्ध करावें।

3. संचालक, एन.आई.सी. विंध्याचल भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि जिलों के सभी जिला सूचना अधिकारी को डाटा बेस तैयार करने के लिए निर्देश प्रदान करें तथा डाटाबेस तैयार करवाना सुनिश्चित करावें। इस हेतु बनाये गये सॉफ्टवेयर को आयोग के निर्देशानुसार अपडेट किया जाने/होने की पुष्टि भी करें, आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण भी आयोजित कर प्रशिक्षित करें। इस हेतु किसी अधिकारी को राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी बनाकर अधिकारी का नाम, मोबाईल नंबर सभी जिलों को तथा इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें। समय–समय पर आयोजित बैठक में भी नोडल अधिकारी उपस्थित हो, यह सुनिश्चित करें। नोडल अधिकारी प्रतिदिन अपडेट रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे।

4. संभागीय आयुक्त समस्त की ओर भेजकर लेख है कि आपके संभाग के जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपरोक्त कार्य समय–सीमा में पूर्ण करने के लिए पाबंद करें तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मांग अनुसार अन्य जिलों से अमला उपलब्ध करावें, प्रति सप्ताह स्टेटस भेजें।

5. श्री जमील खान, उप.मुनिप. (प्रशिक्षण प्रभारी) की ओर भेजकर लेख है कि डाटाबेस तैयार कराने के संबंध में आयोग के अद्यतन निर्देश अनुसार जिलो को प्रशिक्षित करावाने की कार्यवाही करें।

6. रिटर्निंग अधिकारी/सह. रिटर्निंग अधिकारी (समस्त संसदीय क्षेत्र) की ओर भेजकर लेख है कि अधिकारी, कर्मचारियों का आंकलन कर मांग कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराकर पर्याप्त मैन पावर की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

7. श्री विनय देशमुख, श्री राहुल वाघमरे डाटाबेस तैयार करने के संबंध में सभी जिलों को तकनीकि सहयोग तथा आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित करने/करवाने की कार्यवाही कर डाटाबेस तैयार करवाना सुनिश्चित करें।

7.2.19

(संदीप यादव)

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

मध्यप्रदेश